

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 05 / 2016

दायर दिनांक 06.05.2016

उनवान
श्यामलदास
बनाम
हजारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 30.08.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 04 की ओर से वकील श्री पवन जायसवाल ने अधिकार पत्र पेश किया, शामिल पत्रावली हो, अप्रार्थी सं. 04 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद सं. 21 / 2016 दिनांक 06.03. 2020 को खारिज कर दिया गया है, जिससे प्रा.पत्र चलाने योग्य नहीं है, निरस्त किया जावे, पुष्टि में वाद सं. 21 / 2016 की नकले पेश की। दस्तावेजों का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद फैशल हो जाने से, प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की दाद नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

